

**उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र,
14, सी.एस.पी. सिंह मार्ग, प्रयागराज**

फोन नं- 0532-2421855

e-mail: nczcc@rediffmail.com website: www.nczcc.in

निविदा सूचना

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज में केन्द्र परिसर के अन्दर आवश्यक सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्ड एवं प्रेक्षागृह हेतु बाउंसर गार्ड की आपूर्ति किये जाने हेतु अनुभवी पंजीकृत फर्मों से ऑफलाइन निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र केन्द्र कार्यालय के लेखा अनुभाग से रु0 500/- प्रत्येक नगद अथवा डी.डी. (जो निदेशक, उ0म0क्षे0सां0के0, प्रयागराज के पक्ष में देय हो) निविदा शुल्क जमा करने पर दिनांक 21.08.2025 से 02.09.2025 तक पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे के मध्य किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज की वेबसाइट www.nczcc.in से भी डाउनलोड की जा सकती है। निविदा शुल्क रु. 500/- जमा करना अनिवार्य होगा। डाउनलोड/कय किये हुए निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क की रसीद भी जमा करना आवश्यक होगा। निविदा दिनांक 03.09.2025 को अपरान्ह 12 बजे तक सील बंद लिफाफे में केन्द्र कार्यालय में रखे हुए ड्राप बॉक्स में जमा करना होगा। सुनिश्चित करें कि लिफाफे के ऊपर निविदा का नाम/विवरण लिखा गया है। प्राप्त सभी निविदायें दिनांक 03.09.2025 को अपरान्ह 3 बजे केन्द्र की समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं/उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य की अवधि	निविदा बिक्री की तिथि एवं समय	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा खोलने का समय
1.	सुरक्षा गार्ड एवं बाउंसर गार्ड	कार्य आवंटन की तिथि से एक वर्ष तक	निविदा आमंत्रण की तिथि से 02.09.2025 को अपरान्ह 3 बजे तक	03.09.2025 को अपरान्ह 12.00 बजे तक	03.09.2025 को अपरान्ह 03 बजे

निदेशक

मानव शक्ति (सुरक्षा गार्ड) की आपूर्ति के लिए निविदा

1. मानव शक्ति (सुरक्षा गार्ड) की आपूर्ति हेतु केन्द्र द्वारा ऑफलाइन आमंत्रित की जाती हैं। जिसमें साधारण सुरक्षा गार्ड तथा वैध लाइसेन्स धारक हथियारबंद सुरक्षा गार्ड की आपूर्ति शामिल है।
2. फर्म के पास सुरक्षा मानकों के अनुरूप वैध लाइसेन्स के साथ ही उ० प्र० पुलिस विभाग के द्वारा निर्गत लाइसेन्स (पसारा) होना अनिवार्य है। इस लाइसेन्स के बगैर यदि किसी फर्म के द्वारा निविदा में भाग लिया जाता है तो वह पूर्णतः अस्वीकार कर दिया जायेगा।
3. निविदा दाता फर्म का ई०पी०एफ० एवं ई०एस०आई० पंजीकरण तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार के कार्य करने का लाइसेन्स होना अनिवार्य है।
4. निविदा दाता फर्म के द्वारा केन्द्र को आपूर्ति की गयी सुरक्षा गार्ड के विरुद्ध वेतन केन्द्र सरकार द्वारा अनुमन्य न्यूनतम वेतन की दरों के अनुसार करना होगा।
5. निविदा दाता फर्म के द्वारा केन्द्र को आपूर्ति किये गये सुरक्षा गार्ड के विरुद्ध वेतन का भुगतान प्रत्येक माह की सात (7) तारीख के पूर्व प्रत्येक दशा में करना होगा। तथा लाभार्थी के ई०पी०एफ० एवं ई०एस०आई० का धनराशि प्रत्येक माह की 15 तारीख के पूर्व प्रत्येक दशा में जमा करना होगा।
6. निविदा दाता फर्म के द्वारा उपरोक्त सभी भुगतान करने के पश्चात ही केन्द्र को प्रत्येक माह के 15 से 20 तारीख के मध्य समस्त भुगतान के साक्ष्य के साथ ही बिल प्रस्तुत करना होगा, जिसके उपरान्त प्रत्येक माह की 20 से 30 तारीख के मध्य केन्द्र द्वारा फर्म को भुगतान किया जायेगा।
7. किसी भी दशा में फर्म के द्वारा कर्मचारी को बिना भुगतान किये केन्द्र में न ही बिल प्रस्तुत किया जायेगा और न ही इस प्रकार का आग्रह किया जायेगा कि केन्द्र द्वारा भुगतान होने के उपरान्त कर्मचारी को वेतन उनके खातों में भुगतान किया जायेगा।
8. निविदा दाता फर्म को केन्द्र सरकार द्वारा अनुमन्य नियमों की प्रति निविदा के साथ संलग्न करनी होगी, जिसमें श्रेणी के अनुसार न्यूनतम वेतन की दरें अंकित हों।
9. निविदा दाता फर्म को केन्द्र में आपूर्तित सुरक्षा गार्डों के कार्य के विरुद्ध देय धनराशि, केन्द्र सरकार द्वारा नियत बोनस की धनराशि, केन्द्र के पास जमा रहेगी, जिसको केन्द्र के अन्य सुरक्षा गार्डों को बोनस भुगतान के समय कर्मचारियों को भुगतान फर्म द्वारा किये जाने के उपरान्त फर्म को प्रतिपूर्ति भुगतान किया जायेगा। इस धनराशि पर किसी प्रकार की जी०एस०टी० देय नहीं होगी।
10. निविदा दाता फर्म के द्वारा उपरोक्त सुरक्षा गार्ड की आपूर्ति एवं भुगतान के विरुद्ध सेवा शुल्क का उल्लेख स्पष्ट रूप से करना होगा।
11. केन्द्र द्वारा स्रोत पर 2 प्रतिशत आयकर कटौती की जायेगी।
12. निविदा दाता फर्म के द्वारा प्रस्तुत की गयी फर्म पर किसी प्रकार का बैंक दिवालिया (करप्ट) अथवा स्थानीय न्यायालय में किसी प्रकार का वाद नहीं होना चाहिए।
13. निविदा दाता फर्म को केन्द्र को प्रतिमाह के आधार पर प्राप्त की जाने वाली सुरक्षा गार्ड के अतिरिक्त (जब और जहाँ के आधार पर) आवश्यकतानुसार सुरक्षा गार्ड की आपूर्ति करनी होगी। अतिरिक्त आपूर्ति के विरुद्ध केवल न्यूनतम दैनिक वेतन, उस पर सेवा शुल्क तथा जी०एस०टी० का भुगतान केन्द्र द्वारा किया जायेगा। इस आपूर्ति में ई०पी०एफ०, ई०एस०आई० तथा बोनस देय नहीं होगा।

14. निविदा दाता फर्म को समस्त आपूर्तित सुरक्षा गार्डों का भुगतान उनके बैंक खाते में करना होगा। अतिरिक्त आपूर्तित सुरक्षा गार्ड को नियमानुसार (रु० पाँच हजार की सीमा तक) आवश्यकता होने पर नगद भुगतान किया जा सकता है।
15. निविदा दाता फर्म के द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सभी पृष्ठों पर पेज नं. एवं हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य होगा।
16. निविदा दाता फर्म द्वारा निविदा में प्रस्तुत की गई दरें 12 माह के लिए प्रभावी होंगी, परन्तु श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा यदि दरें पुनरीक्षित की जाती हैं, तो उन्हीं परिस्थितियों में न्यूनतम दरों में परिवर्तन केन्द्र द्वारा शासनादेश संलग्न किये जाने की स्थिति में स्वीकार्य किये जायेंगे।
17. निविदा दाता फर्म द्वारा समस्त करों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। निविदा स्वीकृति होने के उपरान्त पृथक से कोई भी कर देय नहीं होगा।
18. निविदा दाता द्वारा उपरोक्त के अलावा कोई अन्य शर्त केन्द्र द्वारा स्वीकार्य नहीं की जायेगी।
19. निविदा दाता फर्म द्वारा सुरक्षा गार्ड आपूर्ति में यह विशेष ध्यान रखना होगा कि जिन व्यक्तियों को केन्द्र में आवश्यकतानुसार कार्य पर लगाया जाय उनके विषय में फर्म पूर्ण रूप से संतुष्ट हो तथा उनकी शैक्षिक योग्यता/चरित्र का सत्यापन फर्म के द्वारा कर लिया गया हो तथा प्रत्येक सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षित किये गये हों।
20. निविदा दाता फर्म द्वारा आपूर्तित सुरक्षा गार्डों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता संख्या व शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रपत्र पूर्णतया सत्यापित कर केन्द्र को उपलब्ध कराना होगा।
21. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निदेशक, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज का निर्णय मान्य होगा, अन्यथा की स्थिति में स्थानीय (प्रयागराज) श्रम न्यायालय में वाद का निस्तारण किया जायेगा।
22. किसी भी परिस्थिति में आपूर्तित सुरक्षा गार्ड के द्वारा केन्द्र में सेवाओं के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
23. निदेशक, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज को यह अधिकार होगा कि एक ही प्रकार के कार्यों के लिए अलग-अलग उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से कर सकें। कार्य की क्षमता के आधार पर फर्म के द्वारा सुरक्षा गार्ड को बदलने का दायित्व होगा, उसमें किसी भी प्रकार का तर्क फर्म द्वारा स्वीकार्य नहीं होगा।
24. सुरक्षा गार्डों की आयु सीमा एवं पात्रता के चयन का अधिकार निदेशक, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज के पक्ष में निहित होगा।
25. केन्द्र सरकार के द्वारा निर्धारित दैनिक कार्य अवधि प्रथम पाली प्रातः 6.00 बजे से 02.00 बजे, द्वितीय पाली 02.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे एवं तृतीय पाली रात्रि 10.00 बजे प्रातः 06.00 बजे तक होगी। आवश्यकता पड़ने पर कार्य अवधि के उपरान्त भी कार्य कराया जा सकता है, जिसके विरुद्ध नियत घण्टों के अनुसार दिनों की गणना के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
26. केन्द्र में 5 दिनों का कार्य दिवस है, परन्तु फर्म द्वारा आपूर्तित सुरक्षा गार्डों के लिए सप्ताह में 6 दिन कार्य दिवस माना जायेगा तथा 26 दिनों के कार्य के विरुद्ध 30 दिनों के वेतन की गणना की जायेगी।

27. केन्द्र सरकार द्वारा अनुमन्य राजपत्रित अवकाश की गणना अवकाश में नहीं की जायेगी, उनकी गणना कार्य दिवस में की जायेगी, जिसका भुगतान केन्द्र द्वारा किया जायेगा।
28. नियमों एवं शर्तों के साथ प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ एक तालिका संलग्न की गई है, जिसमें फर्म को वांछित सेवा शुल्क की दरें स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी। तालिका की चौथी लाइन में उदाहरण हेतु मानक (रु० 100.00 प्रतिदिन के आधार पर) वेतनमान एवं उस पर सभी प्रकार देयकों की गणना कर स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर सम्पर्क कर संदेह का समाधान कर सकते हैं।
29. यदि श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप ई०पी०एफ० एवं ई०एस०आई० के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार का बदलाव आता है तो उसको तदनुसार तालिका में उसी रूप में समाहित किया जायेगा और इस सन्दर्भ में किसी प्रकार के तर्क स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे।
30. निविदा के साथ धरोहर राशि (Earnest Money Deposit/Bid Security) रु० 10,000.00 (रु० दस हजार मात्र) नगद अथवा डी.डी. के माध्यम से जमा करना होगा तथा नगद/डी.डी. द्वारा जमा की गई धनराशि की मूल प्रति निविदा के साथ लगाना होगा। इसके बिना कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
31. जिस निविदादाता को कार्य आवंटित किया जायेगा। उसके द्वारा कार्य आवंटन की तिथि से 03 दिनों के भीतर रु० 1,00,000.00 (रु० एक लाख मात्र) जमानत राशि (Performance Security) निदेशक, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज के पक्ष में नगद अथवा डी०डी० के माध्यम से जमा कर सम्बन्धित मूल कागजात केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा धरोहर धनराशि (EMD/Bid Security) जब्त कर ली जायेगी।
32. जमानत धनराशि/परफारमेन्स सिक्योरिटी जमा करने के उपरान्त केन्द्र और फर्म के मध्य एक अनुबन्ध पत्र तैयार कराया जायेगा। जिसमें उपरोक्त सभी नियम और शर्तों को रु० 100.00 के स्टॉप पेपर पर शपथ-पत्र तैयार करके केन्द्र के पास 12 माह की अवधि के लिए केन्द्र में जमा करना होगा। इसके उपरान्त ही फर्म द्वारा जमा की गयी ई०एम०डी० धनराशि रु० 10,000.00 (रु० दस हजार मात्र) को वापिस किया जायेगा।
33. उपरोक्त नियम व शर्तों में उल्लिखित सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के उपरान्त ही फर्म केन्द्र के लिए सुरक्षा गार्ड की आपूर्ति के लिए अधिकृत होगा।
34. निविदादाता का प्रयागराज क्षेत्र में ऑफिस/सब ऑफिस होना अनिवार्य है। ऑफिस/सब ऑफिस का पूर्ण पता फोन नं. सहित निविदा के साथ देना होगा तथा ऑफिस/सब ऑफिस का एड्रेस प्रूफ भी देना होगा। जैसे- रेंट एग्रीमेन्ट की कॉपी आदि।

घोषणा

मैं/हम पुत्र श्री फर्म
पता यह घोषणा करते हैं कि उपरोक्त सभी
नियम एवं शर्त पढ़ और समझ ली है। मैं/हम पालन
करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

दिनांक:-

निविदादाता के नाम/हस्ताक्षर

फर्म का नाम व पता

मो० नं० -

जी.एस.टी. नं० -

आधार नं० -

CATEGORY	PER DAY WAGES (in INR)	NO. OF WORKING DAYS	AMOUNT	EPF to be deducted from Employee (12%)	ESIC OF EMPLOYEE (0.75%)	Total Gain by Employee	ESI (3.25%) (WILL BE PAY TO AGENCY BY NCZCC)	EPF (13%) (PAY TO AGENCY BY NCZCC)	Total Amount	Service charge% claimed by Agency from the Centre	Total Amount including Service Charge	GST@18%	Total amount to be charged by Agency	TDS Deducted by Center	Total amount paid by the NCZCC to Agency
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			(1X2)	(12% on Col. 3)	0.75% on col. 3	(3-4-5)	3.25% on col. 3	13% on col. 3	(7+8)	5% on col. 11	(11+12)	18% of col. 11	(11+12)	2% of col. 11	(11+12-13)
Example	100	30	3000	360	23	2618	98	390	3488	174	3662	659	4321	73	4248
Simple Guards															
Armed Guard (With Arm)															

नोट:

- कॉलम सं0-1 में केन्द्र सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन प्रतिदिन की दर से निविदादाता को भरना होगा।
- कॉलम सं0-2 में सुरक्षा गार्डों के वास्तविक कार्य दिवसों की संख्या है, इसमें छः कार्य दिवसों के बाद एक दिन का अवकाश अनुमन्य है।
- कॉलम सं0-3 में 1 एवं 2 के गुणक की धनराशि की गणना की जायेगी।
- कॉलम सं0-4 एवं 5 में सुरक्षा गार्डों द्वारा अर्जित वेतन में से का 12 प्रतिशत ई0पी0एफ0 एवं 0.75 प्रतिशत ई0एस0आई0 की कटौती के पश्चात सुरक्षा गार्ड को वेतन के रूप में प्रतिमाह के स्तर पर एजेंसी द्वारा प्रदान किया जायेगा।
- कॉलम सं0-7 में सुरक्षा गार्डों द्वारा अर्जित वेतन का 3.25 प्रतिशत ई0एस0आई0 की धनराशि केन्द्र द्वारा आवंटित फर्म को प्रदान की जायेगी, जिसे फर्म के द्वारा सुरक्षा गार्ड के ई0एस0आई0 खाते में प्रतिमाह के स्तर पर जमा किया जायेगा।
- कॉलम सं0-8 में सुरक्षा गार्डों द्वारा अर्जित वेतन का 13 प्रतिशत ई0पी0एफ0 की धनराशि केन्द्र द्वारा आवंटित फर्म को प्रदान की जायेगी, जिसे फर्म के द्वारा सुरक्षा गार्ड के ई0पी0एफ0 खाते में प्रतिमाह के स्तर पर जमा किया जायेगा।
- कॉलम सं0-10 में फर्म द्वारा केन्द्र को सेवायें प्रदान करने के विरुद्ध केन्द्र द्वारा क्रम संख्या 9 पर लिखित राशि के (..... प्रतिशत) सेवाकर केन्द्र द्वारा प्रदान किया जायेगा।
- कॉलम सं0-4 एवं 8 में सुरक्षा गार्डों द्वारा अर्जित वेतन में से का 12 प्रतिशत ई0पी0एफ0 की कटौती + केन्द्र द्वारा प्रदत्त 13 प्रतिशत ई0पी0एफ0 धनराशि। यह धनराशि प्रतिमाह के स्तर पर एजेंसी द्वारा सुरक्षा गार्डों के ई0पी0एफ0 खाते में जमा किया जायेगा।
- कॉलम सं0-11 में अंकित धनराशि सुरक्षा गार्डों द्वारा अर्जित वेतन, केन्द्र द्वारा भुगतान की जाने वाली 13 प्रतिशत ई. पी.एफ. एवं 3.25 प्रतिशत ई.एस.आई. धनराशि और फर्म का सेवा शुल्क जोड़कर दर्शायी गयी है।
- कॉलम सं0-12 में कॉलम संख्या 11 पर अंकित धनराशि पर 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 का भुगतान केन्द्र द्वारा फर्म को किया जायेगा।
- कॉलम सं0-13 में कॉलम सं0 11 एवं 12 की धनराशि का योग फर्म द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर केन्द्र द्वारा किया जायेगा।
- कॉलम सं0-14 में अंकित धनराशि यह दर्शाती है कि केन्द्र द्वारा भारत सरकार के नियमों के अधीन फर्म को भुगतान की जाने वाली राशि पर 2 प्रतिशत आयकर की कटौती की जायेगी।

उपरोक्त सभी 1 से 14 तक के कॉलम फर्म को पारदर्शिता बनाये रखने हेतु स्पष्ट रूप से उदाहरण सहित तैयार किया गया है। इस सन्दर्भ में यह सलाह दी जाती है कि न्यूनतम वेतन, जो श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित है, के अनुसार ही दरें अंकित की जाएं साथ ही निविदा आमंत्रित किये जाने का मूल उद्देश्य यह है कि उपरोक्त कॉलम सं0 10 में फर्म द्वारा वांछित सेवा कर के प्रतिशत का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय।